[2018] 6 एस.सी.आर 683

मैसर्स लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 8984–8985/2017)

2 मार्च, 2018

[आदर्श कुमार गोयल, आर. एफ. नरीमन और उदय उमेश ललित, न्यायमूर्तिगण]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 धाराएँ 16 और 34–मध्यस्थ ने अपीलार्थी के पक्ष में पंचाट पारित किया– पंचाट को प्रतिवादी–राज्य द्वारा धारा 34 के अधीन विचारण न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी। प्रत्यर्थी ने तीन वर्षों के बाद अपनी आपत्तियों में संशोधन करने की मांग की, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था–हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 227 के तहत इसकी अनुमति दी गई थी–अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि आपत्ति मध्यस्थ के समक्ष अधिनियम के धारा 16 (2) के तहत नहीं उठायी जा सकी है, अतः धारा 34 के अधीन नहीं उठायी जा सकती प्रत्यर्थी–राज्य ने तर्क दिया कि निर्विवाद तथ्यों पर उत्पन्न होने वाली कानूनी याचिका धारा 34(2)(ख) द्वारा बाधित नहीं है।और यह कि संशोधन के लिए आवेदन पर विचार करना आवश्यक नहीं था। अभिनिर्धारित किया गया कि चूँकि संशोधन आवेदन पर जोर नहीं दिया गया था, इसलिए अपील को निष्फल बना दिया गया अधिनियम की धारा 34 के तहत क्षेत्राधिकार के विन्दु पर आपत्ति उठाने पर कोई रोक नहीं है।यद्यपि अधिनियम की धारा 16 के अधीन भले ही ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई हो। धारा 34 के अधीन आपत्तियों पर विचार करने के लिए मामला निचली अदालत को भेज दिया गया।

एम. एस. पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाममध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (2015) 13 एससीसी 713:

ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 710–आंशिक रूप से खारिज।

<u>संदर्भित विधि व्यवस्था</u>

(2015) 13 एस. सी. सी. 713 आंशिक रूप से पैरा 7 को रद्द कर दिया गया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 8984–8985/2017

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, प्रधान पीठ, जबलपुर द्वारा दिनांक 25.11.2014 और दिनांक 09.03.2015 को क्रमशः रिट याचिका संख्या 4559/2014 और समीक्षा याचिका संख्या 04/2015 में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से।

नमन नागरथ, राजीव धवन, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, पराग पी. त्रिपाठी, सुश्री विभा दत्ता मखीजा, संजय आर. हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता।, पुरुषेंद्र कौरव, ए. जी., हर्ष पराशर, जुबिन प्रसाद, अमन पांडे, प्रतीक खंडेलवाल, शादन फरासत, अर्जुन गर्ग, प्रशांत कुमार, सौरभ सुमन सिन्हा, आदित्य देव टी., मेसर्स ए. पी. एंड जे. चैम्बर्स, राहुल नारायण, शाश्वत जी., सुश्री रेणुका साहू, जसदीप सिंह ढिल्लों, जय सावला, श्रीधर पोटाराजू, सुधीर मिश्रा, प्रभात कुमार, पेटल चंडोक, उदय खन्ना, ऋषभ कपूर, प्रियश शर्मा, सुश्री आभा आर. शर्मा, सुश्री दिशा वैश्य, डी. एस. परमार, सुश्री सुजीता श्रीवास्तव, हर्ष पराशर, वरुण अमर, शांतनु कृष्ण। लाल, रवीन दुबे, सुधांशु पाल, नीलव बंदोपाध्याय, प्रतीक खन्ना, अधिवक्तागण उपस्थित पक्षकारों के लिए।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया।

<u>आदेश</u>

1. हमने पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

2. एक कार्य अनुबंध के निष्पादन में विवाद से उत्पन्न होने वाले मामले को उच्च न्यायालय द्वारा 4.09.2008 पर मध्यस्थ को भेजा गया था। मध्यस्थ ने अपीलार्थी के पक्ष में अपना पंचाट दिनांक 10.07.2010 बनाया। इसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ("अधिनियम") की धारा 34 के तहत सातवें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, भोपाल के समक्ष प्रत्यर्थी–एम. पी. राज्य द्वारा चुनौती दी गई थी। प्रत्यर्थी ने तीन साल बाद अपनी आपत्तियों में संशोधन करने की मांग की थी जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था।भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका पर, उच्च न्यायालय ने उक्त संशोधन को मंजूरी दे दी है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संशोधन की अनुमति उस सीमा की अवधि से आगे नहीं दी जा सकती है जो किसी पक्ष के निहित अधिकारों को प्रभावित करती है।यह भी प्रस्तुत किया गया कि मध्यस्थ के समक्ष अधिनियम की धारा 16 (2) के तहत आपत्ति नहीं उठाई गई है, इसलिए अधिनियम की धारा 34 के तहत आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है। इस प्रस्तुति के समर्थन में <u>एम. एस. पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड</u> (2015) 13 एस. सी. सी. 713 के मामले में प्रद्त्र विधिव्यवस्था पर विश्वास व्यक्त किया गया।

4. एम. पी. राज्य के विद्वान महाधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि माँगा गया संशोधन औपचारिक है। निर्विवाद तथ्यों पर उत्पन्न होने वाली कानूनी याचिका अधिनियम की धारा 34 (2) (बी) द्वारा वर्जित नहीं है। भले ही अधिनियम की धारा 16 के तहत अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति नहीं उठाई जाती है, लेकिन इसे अधिनियम की धारा 34 के तहत उठाया जा सकता है। संशोधन के लिए आवेदन पर विचार करना भी आवश्यक नहीं है क्योंकि यह एक कानूनी याचिका है, जो स्वीकार किए गए तथ्यों पर है, जिसे किसी भी मामले में उठाया जा सकता है।इस प्रकार वह प्रस्तुत करता है कि संशोधन अनावश्यक होने के कारण दबाव नहीं डाला जाता है।विद्वान महाधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि उपरोक्त वर्णित मेसर्स एम. एस.

पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में टिप्पणियाँ, विशेष रूप से पैराग्राफ 16 और 17 में सही कानून निर्धारित नहीं किया गया है।

5. हम राज्य की ओर से उठाए गए तर्कों में योग्यता पाते हैं।हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि संशोधन को सीमा से परे होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि संशोधन पर जोर नहीं दिया जाता है।

6. हम अधिनियम की धारा 34 के तहत आपत्ति के माध्यम से अधिकार क्षेत्र की याचिका पर कोई रोक नहीं देखते हैं, भले ही धारा 16 के तहत ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई हो।

7. हम मैसर्स एम. एस. पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर (उपरोक्त) से टिप्पणियों को उद्धृत कर सकते हैं:

> "16. इस निवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं है।सबसे पहले, इस निष्कर्ष की गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं है कि न्यायाधिकरण की अधिकारिता पर सभी आपत्तियों को धारा 16 के तहत नहीं उठाया जा सकता है और न्यायाधिकरण के पास अपनी अधिकारिता पर शासन करने की शक्ति नहीं है।दूसरा, संसद ने धारा 34 के खंड (बी) में एक अलग वाक्यांश का प्रयोग किया है।वह वाक्यांश है "विवाद का विषय मध्यस्थता द्वारा निपटाने में सक्षम नहीं है"। यह वाक्यांश आवश्यक रूप से 'अधिकार क्षेत्र' की आपत्ति को संदर्भित नहीं करता है क्योंकि यह शब्द सर्वविदित है।वास्तव में, यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां मध्यस्थता के लिए संदर्भित विवाद, अपनी विषय वस्तु के कारण मध्यस्थता द्वारा निपटान करने में सक्षम नहीं है।इस तरह के मामलों के उदाहरण सुप्रीम कोर्ट द्वारा बूज़ एलन और हैमिल्टन इंक. बनाम एस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड (2011) 5 SCC 532। इस न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि–
>
> "36. गैर–मध्यस्थ विवादों के अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त उदाहरण हैं:(i) उन अधिकारों और देनदारियों से संबंधित विवाद जो आपराधिक अपराधों को जन्म देते हैं या उत्पन्न होते हैं; (ii) तलाक, न्यायिक अलगाव, वैवाहिक अधिकारों की बहाली, बाल अभिरक्षा से संबंधित वैवाहिक विवाद; (iii) संरक्षकता के मामले; (iv) दिवालिया। और समापन मामले; (v) वसीयती मामले (प्रोबेट का अनुदान, प्रशासन के पत्र और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र); और (vi) विशेष कानूनों द्वारा शासित बेदखली या किरायेदारी मामले जहां किरायेदार को बेदखली के खिलाफ वैधानिक संरक्षण प्राप्त है और केवल निर्दिष्ट अदालतों को बेदखली देने या विवादों का फैसला करने के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जाता है।"

इस प्रकार अधिनियम की योजना स्पष्ट है।किसी भी प्रकृति के अधिकार क्षेत्र के लिए सभी आपत्तियों को बचाव के बयान को प्रस्तुत करने के चरण में लिया जाना चाहिए, और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 16 के तहत निपटा जाना चाहिए।तथापि, यदि एक पक्ष यह तर्क देना चाहता है कि विवाद का

विषय ऐसा है जिससे मध्यस्थता द्वारा निपटा नहीं जा सकता है, तो इसे न्यायालय द्वारा धारा 34 के तहत निपटा जा सकता है।

> 17. श्री दीवान ने यह भी तर्क दिया कि नया जोड़ा गया आधार कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के तहत न्यायाधिकरण को विवाद का फैसला करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि 1983 के एम. पी. अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र था, एक ऐसा प्रश्न था जिसे मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 की उप–धारा (2) के खंड (बी) के उप–खंड (ii) के तहत उठाया जा सकता है।यह प्रावधान न्यायालय को एक ऐसे निर्णय को रद्द करने में सक्षम बनाता है जो भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत है।इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि संशोधन को उचित रूप से अनुमति दी गई थी और यह नहीं कहा जा सकता है कि जो उठाया गया था वह केवल एक प्रश्न था जो अधिकार क्षेत्र से संबंधित था और जिसे विशेष रूप से मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 16 के तहत उठाया जाना चाहिए था, लेकिन वास्तव में एक ऐसा प्रश्न था जिसे न्यायालय के समक्ष धारा 34 के तहत भी उठाया जा सकता था, जैसा कि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया है।इस निवेदन को अस्वीकार किया जाना चाहिए।यह तर्क कि एक पंचाट भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है, इस तर्क के बराबर नहीं किया जा सकता है कि केंद्रीय अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है और राज्य अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण के पास विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है।इसके अलावा, यह कहा गया था कि यह तर्क इस शीर्षक के तहत उठाया गया होगा कि मध्यस्थ पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है। दूसरे शब्दों में, यह प्रस्तुत किया गया था कि यह भारत की सार्वजनिक नीति है कि मध्यस्थता उचित कानून के तहत आयोजित की जानी चाहिए।यह तर्क दिया गया था कि जब तक मध्यस्थता राज्य कानून यानी एम. पी. अधिनियम के तहत आयोजित नहीं की जाती है, यह भारत की सार्वजनिक नीति का उल्लंघन होगा।यह तर्क यह गलत धारणा है क्योंकि यह प्रदान करने का इरादा कि पंचाट भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में नहीं होना चाहिए, समग्र रूप से भारत की सार्वजनिक नीति यानी भारत संघ की नीति के लिए संदर्भित है, न कि केवल एक व्यक्तिगत राज्य की नीति के लिए।हालाँकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य के कानून को बनाए रखना भारत की सार्वजनिक नीति का हिस्सा नहीं होगा, बहुत कुछ संदर्भ पर निर्भर करता है।जहाँ सवाल राज्य के कानून के तहत किसी कार्रवाई और केंद्रीय कानून के तहत किसी कार्रवाई के बीच संघर्ष से उत्पन्न होता है, वहाँ भारत की सार्वजनिक नीति शब्द को अनिवार्य रूप से संघ की नीति के लिए संदर्भित होने के रूप में समझा जाना चाहिए।यह सर्वविदित है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, 'भारत' नाम राज्यों के संघ का नाम है और इसके क्षेत्रों में राज्यों के क्षेत्र शामिल हैं।"

8. दोनों चरण स्वतंत्र हैं।उपरोक्त संदर्भित एम. एस. पी. इंफ्रास्ट्रक्चर में पैराग्राफ 16 और 17 में अवलोकन से हमारे विचार में, सही कानून निर्धारित नहीं करते हैं।हम इस अवलोकन से भी सहमत नहीं हैं कि भारत की सार्वजनिक नीति किसी राज्य के कानून को संदर्भित नहीं करती है और केवल एक अखिल भारतीय कानून को संदर्भित करती है।

9. हमारे विचार में, भारत की सार्वजनिक नीति भारत में लागू कानून को संदर्भित करती है, चाहे वह राज्य का कानून हो या केंद्रीय कानून।तदनुसार, हम उपरोक्त संदर्भित एम. एस. पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निर्णय के पैराग्राफ 16 और 17 में इसके विपरीत टिप्पणियों को खारिज करते हैं।

10. चूँकि संशोधन आवेदन पर बल नहीं दिया जाता है, इसलिए अपील निष्फल की जाती है। विवादित आदेश अपस्त्र किया जाता है।

11. इस मामले को अब केंद्रीय अधिनियम की धारा 34 के तहत आपत्तियों पर विचार करने के लिए निचली अदालत द्वारा लिया जा सकता है। प्रत्यर्थीगण के लिए यह तर्क देना खुला रहेगा कि इसकी आपत्ति कि अधिनियम, एम. पी. मध्यस्थ अधिकरण अधिनियम, 1983 द्वारा बहिष्कृत है, एक औपचारिक अभिवचन के बिना भी उठाई जा सकती है, जो विशुद्ध रूप से एक कानूनी विन्दु है। यह अपीलार्थी के लिए इसके विपरीत बहस करने के लिए भी खुला रहेगा।हम इस सवाल को संबंधित अदालत पर छोड़ते हैं।

अपीलों का निपटारा तदनुसार किया जाता है।

अंकित ज्ञान

अपीलों का निपटारा किया गया।

Jai Shankar Mishra